भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4438
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 अप्रैल, 2026 को दिया जाना है

विचारणाधीन कैदी

4438 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर की जेलों में बंद ऐसे विचारणाधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है, जो एक से दो वर्ष, दो से पांच वर्ष तथा पांच वर्ष से अधिक समय से मुकदमा चलने अथवा जमानत की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) क्या न्यायालयों में जमानत याचिकाओं की लंबित संख्या से संबंधित समेकित आँकड़े राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) अथवा किसी अन्य तंत्र के माध्यम से संधारित किए जाते हैं और यदि हां, तो जमानत आवेदनों के निपटान में लगने वाले औसत समय का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विचारणाधीन कैदियों की हिरासत की लंबी अवधि को कम करने में न्यायालयों की सहायता के लिए सरकार द्वारा कौन-से उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) द्वारा रिपोर्ट किए गए कारागार के आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। वर्ष 2023 के सबसे नए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, तारीख 31.12.2023 तक देश की जेलों में एक से दो वर्ष, दो से पांच वर्ष और पांच वर्ष से अधिक समय से परिरुद्ध विचाराधीन कैदियों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

उपाबंध-क में संलग्न की गई है। ये आंकड़ें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वेबसाइट: https://www.ncrb.gov.in/uploads/files/PSI-20231. पीडीएफ पर आसानी से उपलब्ध है।

(ख) से (ग) : 'कारागार और कैदी' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 के प्रविष्टि 4 के अधीन राज्य-सूची का विषय है। इसलिए, कारागारों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। केंद्रीय सरकार भी इस मामले में राज्य सरकारों के प्रयास में सहायता कर रही है।

सरकार "सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स" नाम की एक स्कीम लागू कर रही है। स्कीम को लागू करने के लिए दिशानिर्देश और एसओपी में 1 लाख रुपये तक की जमानत सहायता, मामला प्रसंस्कृत करने के लिए समयसीमा तय करना, और निधि निकालने तथा उपयोग करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने का उपबंध है। स्कीम को लागू करने के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के लिए 20 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय परिव्यय प्रदान किया है ।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने सभी ज़िलों में विचाराधीन पुनर्विलोकन समितियां (यूटीआरसीएस) स्थापित करने की पहल की है, ताकि योग्य विचाराधीन कैदियों और सिद्ध दोषियों की रिहाई की सिफारिश की जा सके। देश भर में यूटीआरसीएस प्रत्येक तीन माह में बैठक करती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान यूटीआरसीएस द्वारा सिफारिश किए गए और रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	जमानत/रिहाई के लिए सिफारिश किए गए यूटीपी/ सिद्धदोषियों की संख्या	यूटीआरसी की सिफारिशों के अनुसरण में रिहा किए गए अंतःवासियों की संख्या
2023	73,274	34,232
2024	53,594	25,982
2025	40,434	22,523
कुल	1,67,302	82,737

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के लिए ज़मानत सुधारों को लागू करने की पहल की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 (1) में यह उपबंध किया गया है कि, *"जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड या आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध*

के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।"

बीएनएसएस की धारा 479 (1) के अधीन परंतुक में पहली बार अपराध करने वालों/ विचाराधीन कैदियों को और अनुतोष प्रदान करता है और यह उपबंधित करता है कि *"जहां ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और जिसे (पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो) तो वह न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा, यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई विस्तारित अवधि तक निरोध में रह चुका है"।*

न्यायालय में जमानत आवेदन के लंबित होने और उनके निपटान के आंकड़ों को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से सुरक्षित नहीं रखा जाता है।

<u>उपाबंध-क</u>

'विचाराधीन कैदियों' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4438, जिसका उत्तर 02.04.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

तारीख 31 दिसंबर, 2023 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विचाराधीन कैदियों की संख्या और उनके कारावास की अवधि का ब्यौरा				
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1 से 2 वर्ष	2 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	6	25	2
2	आंध्र प्रदेश	208	146	3
3	अरुणाचल प्रदेश	25	20	3
4	असम	682	561	147
5	बिहार	4,446	3,549	296
6	चंडीगढ़	112	70	9
7	छत्तीसगढ़	2,265	1,354	44
8	दिल्ली	2,503	2,442	497
9	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	23	40	10
10	गोवा	99	172	22
11	गुजरात	1,712	1,870	464
12	हरियाणा	2,742	2,264	416
13	हिमाचल प्रदेश	291	364	57
14	जम्मू-कश्मीर	827	1,388	275
15	झारखंड	1,944	2,002	481
16	कर्नाटक	1,834	1,674	226
17	केरल	248	100	8
18	लद्दाख	12	7	2
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	3,573	2,735	115
21	महाराष्ट्र	4,978	7,436	2,213
22	मणिपुर	107	37	18
23	मेघालय	110	131	24
24	मिजोरम	200	42	0
25	नगालैंड	43	24	12
26	ओडिशा	1,963	1,961	414
27	पुडुचेरी	43	21	0
28	पंजाब	5,076	3,518	183
29	राजस्थान	2,520	3,025	464
30	सिक्किम	35	21	0
31	तमिलनाडु	999	392	46
32	तेलंगाना	141	82	9
33	त्रिपुरा	39	5	0
34	उत्तर प्रदेश	10,283	12,003	2,639
35	उत्तराखंड	672	763	48
36	पश्चिमी बंगाल	3,894	4,363	1,245
	कुल	54,655	54,607	10,392
